



Divine Sainik School

Affiliated to CBSE Board, New Delhi

Lakhmipur Road, Chhitauni, Varanasi-221107

Ref. No.

Date... 15.5.26

UDISE Code : 09670101902

To whomsoever it may concern

This is to inform that **Divine Sainik School Lakhmipur, Lohta** has already got RTE recognition from the State Education Department w.e.f. 30th July'2020 .

As per Uttar Pradesh Government's G.O. No – 419/79-6-2013-18(20)/91 dated 8th May 2013, rule 15, "According to designated rules and provisions, firstly a provisional recognition will be given for three years. During this period in case no fact is established to contradict the rule of recognition, then after the completion of three years period, it will be deemed that the school has got permanent recognition".

Hence **Divine Sainik School Lakhmipur, Lohta** is now permanently RTE recognized as per Uttar Pradesh Government's G.O. No. – 419/79-6-2013-18(20)/91 dated 8th May 2013.



Affiliation No. 2133637

e-mail : divinesainik2006@gmail.com
Mob. : 9415128509
9565601000

Divine Sainik School

Affiliated to CBSE Board, New Delhi

Lakhimpur Road, Chhitauni, Varanasi-221107

Date.....18-5-26

Ref. No.



UDISE+

Student Database
Management SystemSession Time : 18/05/2028
14:54 2:19 PMTP SINGH,
SCHOOLUSER, School

Language English

UDISE Code : 09670101902

Category : 3 - Pr. with Up.Pr. sec. and H.Sec.

Management : 5 - Pvt. Unaided (Recognized)

Current Academic Year: 2026-27

Type : 3 - Co-educational

Class : 1-12

School Name : DIVINE SAINIK SCHOOL LAKHMIPUR LOHTA

Choose Academic Year

School Profile (2026-27)

View MIS Details

HOS Details

Headmaster/Principal	TP Singh	Designation	Head Master/Principal	Contact No.	9565601000
----------------------	----------	-------------	-----------------------	-------------	------------

Basic Information

School Name	DIVINE SAINIK SCHOOL LAKHMIPUR LOHTA	UDISE Code	09670101902
School Category	3 - Pr. with Up.Pr. sec. and H.Sec.	School Type	3 - Co-educational
Class From	1	Class To	12
Status	0-Operational	Management	5 - Pvt. Unaided (Recognized)
Classification of School	1-Formal School	RTE Applicable	1-Yes

Essential fields for SDMS Entry

Session Start Date	01/04/2026	Session End Date	31/03/2027
Vocational Courses	Not Active	Medium of Instruction	19 - English

Language Group Details

Class Level(s)	Language Group(s)
Primary	English_Hindi, English_Hindi_Sanskrit
Upper Primary	English_Hindi_Sanskrit
Secondary	English_Hindi, English_Hindi_Sanskrit
Higher Secondary	English_Hindi, English_Hindi_Sanskrit



TP Singh
Principal

प्रबन्धक,
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

सेवा में,
प्रबन्धक,
डिवाइन सैनिक स्कूल
लखमीपुर, लोहता, वाराणसी।

पत्रांक: /मान्यता/ 4843-45

/2020-2021

दिनांक : 30 जुलाई, 2020

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 के नियम-15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 31-12-2019 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं डिवाइन सैनिक स्कूल, लखमीपुर, लोहता, वाराणसी को तारीख 01-04-2020 से तारीख 31-03-2021 तक एक वर्ष की अवधि तक के लिये कक्षा-1 से कक्षा-5 तक के लिये अनन्तिम अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।


उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैंप्टेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।


(क्रमशः..2)



- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं-
- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - 0.125 हेक्टेअर
 - कुल निर्मित क्षेत्र - 125 एअर
 - क्रीडास्थल का क्षेत्रफल - पर्याप्त है।
 - कक्षाओं की संख्या - 05
 - प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भण्डागार के लिये कक्षा - 01
 - बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय - उपलब्ध है।
 - पेयजल सुविधा - उपलब्ध है।
 - मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई -
 - बाधा रहित पहुँच - उपलब्ध है।
 - अध्यापन पठन सामाग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता- है
- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलायी जायेगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकान्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक प्रमाण में उपलब्ध है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाय।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निर्गत मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।


शम्भू नाथ
(प्रधान सहायक)

भवदीय



(राकेश सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।
उसी तिथि को।

पृ०सं०: /मान्यता /

/2019-2020

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), पंचम मण्डल, वाराणसी।
- 2- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र वाराणसी।


(राकेश सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक,
डिवाइन सैनिक स्कूल
लखमीपुर, लोहता, वाराणसी।

पत्रांक./मान्यता/ 27488-9

/2019-2020

दिनांक : 07 मार्च, 2020

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 के नियम-15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 31-08-2019 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं डिवाइन सैनिक स्कूल, लखमीपुर, लोहता वाराणसी को तारीख 01-04-2020 से तारीख 31-03-2021 तक एक वर्ष की अवधि तक के लिये कक्षा-6 से कक्षा-8 तक के लिये अनन्तिम अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्वधीन है-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
 - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

(क्रमशः...2)

- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं-
- | | |
|---|-----------------|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल | - 14000 वर्गफीट |
| कुल निर्मित क्षेत्र | - 12000 वर्गफीट |
| क्रीडास्थल का क्षेत्रफल | - पर्याप्त है। |
| कक्षाओं की संख्या | - 06 |
| प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भण्डागार के लिये कक्षा | - 01 |
| बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय | - उपलब्ध है। |
| पेयजल सुविधा | - उपलब्ध है। |
| मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई | - |
| बाधा रहित पहुँच | - उपलब्ध है। |
| अध्यापन पठन सामाग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता- | है |
- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जायेगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकान्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक प्रमाण में उपलब्ध है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाय।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निर्गत मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय

(राकेश सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।
उसी तिथि को।

पृ0सं0: /मान्यता/

/2020-2021

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), पंचम मण्डल, वाराणसी।
- 2- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र वाराणसी।

(राकेश सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
वाराणसी।